<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मक</u>**<u>:</u>इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल,श्री नित्यानंद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीतथा श्रीमती ममता देवी, लेखापरीक्षक द्वारा श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.08.2019 से 29 .08.2019तक संपादित की गई थी जिसमें वर्ष 2018-19तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. <u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: --

(ii) जनसंख्या: --

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: --

(iv) अभिकरण द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **--**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **13**

(vii) अभिकरण की संपत्तियाँ: **--**

(viii) अभिकरण के अपने प्रोजेक्ट: कोई नहीं

(ix) योजनाओं की संख्या: आय-व्यय विवरण के अनुसार

(x) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि**:** आय-व्यय विवरण के अनुसार

(xi) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : आय-व्यय विवरण के

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणजनपद-हरिद्वार को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि (`) मे

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	0	34498779	0	0	156688191	137854763	0	0	0	53332207
2018-19	0	53332207	0	0	113161718	143469305	0	0	0	23024620
2019-20	0	23024620	0	0	192017402	130114292	0	0	0	84927730
कुल योग			**0**	**0**	**461867311**	**411438360**				

कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	एन.आर.एल.एम.	0	23582891	23582891	23226935	355956
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	6418597	2971357	9389954	1435134	7954820
3	सांसद निधि (राज्य सभा)	9126369	24459069	33585438	13013000	20572438
4	सांसद निधि (लोक सभा)	18208547	32626852	50835399	27754770	23080629
5	मुख्यमंत्री महिला एस.एच.जी. (सीड कैपिटल / सी.आई.एफ.)	0	775000	775000	0	775000
6	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	244233	1996570	2240803	2141980	98823
7	रुर्बन मिशन	501033	70276452	70777485	70282944	494541
	कुल योग	**34498779**	**156688191**	**191186970**	**137854763**	**53332207**

कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	एन.आर.एल.एम.	355956	32867384	33223340	32871683	351657
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	7954820	3943505	11898325	3138804	8759521
3	सांसद निधि (राज्य सभा)	20572438	7922633	28495071	16557801	11937270
4	सांसद निधि (लोक सभा)	23080629	28383824	51464453	50275049	1189404
5	मुख्यमंत्री महिला एस.एच.जी. (सीड कैपिटल / सी.आई.एफ.)	775000	0	775000	700000	75000
6	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	98823	1281424	1380247	1277470	102777
7	रुर्बन मिशन	494541	38762948	39257489	38648498	608991
	कुल योग	**53332207**	**113161718**	**166493925**	**143469305**	**23024620**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणजनपद-हरिद्वार का वर्ष 2019-20का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	एन.आर.एल.एम.	351657	41602460	41954117	39960616	1993501
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	8759521	1166000	9925521	9387635	537886
3	सांसद निधि (राज्य सभा)	11937270	7084316	19021586	9429580	9592006
4	सांसद निधि (लोक सभा)	1189404	91414626	92604030	70589913	22014117
5	मुख्यमंत्री महिला एस.एच.जी. (सीड कैपिटल / सी.आई.एफ.)	75000	00	75000	00	75000
6	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	102777	750000	852777	746548	106229
7	रुर्बन मिशन	608991	50000000	50608991	00	50608991
	कुल योग	**23024620**	**192017402**	**215042022**	**130114292**	**84927730**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	एन.आर.एल.एम.	0	23582891	23582891	23226935	355956
2018-19	एन.आर.एल.एम.	355956	32867384	33223340	32871683	351657
2019-20	एन.आर.एल.एम.	351657	41602460	41954117	39960616	1993501
2017-18	प्र.मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	6418597	2971357	9389954	1435134	7954820
2018-19	प्र.मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	7954820	3943505	11898325	3138804	8759521
2019-20	प्र.मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रशा.	8759521	1166000	9925521	9387635	537886
2017-18	सांसद निधि (राज्य सभा)	9126369	24459069	33585438	13013000	20572438
2018-19	सांसद निधि (राज्य सभा)	20572438	7922633	28495071	16557801	11937270
2019-20	सांसद निधि (राज्य सभा)	11937270	7084316	19021586	9429580	9592006
2017-18	सांसद निधि (लोक सभा)	18208547	32626852	50835399	27754770	23080629
2018-19	सांसद निधि (लोक सभा)	23080629	28383824	51464453	50275049	1189404
2019-20	सांसद निधि (लोक सभा)	1189404	91414626	92604030	70589913	22014117

इकाई को बजट आवंटन निदेशालय (iii) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया गया है गैर स्थापना व्यय सम्मलित न करते हुए इकाई ''स श्रेणी की है''

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग

निदेशक ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधि में कार्यालय : जिला ग्राम्य विकास अभिकरण- हरिद्वार की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण समस्त स्वाधीन। प्रतिवेदन पृथक पृथक जारी किये जा रहे है यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय , जिला विकास अधिकारी – हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है माह 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गयै गया है उक्त माह:

विश्लेषण किया गया है प्रतिचयन सर का वाधिक व्यय के आधार पर किया है

लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद कर्तव्य शाक्तियाँ तथा सेवा) परीक्षक के महा के अधीन बनाये गये नि 149) 1971 अधिनियम (की शर्तेडी पी सी एक्ट तथा लेखा परिक्षण 2007 लेखा तथा लेखा परीक्षा विनियम 13 की धारा) मानको के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग–2(ब)</u>

प्रस्तर:1 विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण अतिरिक्त रायल्टी धनराशि ` 22412 की कटौती नहीं किया जाना तथा रायल्टी की धनराशि ` 99007 राजकोष में जमा नही किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।
उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।
कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार के विधायक निधि से सम्बंधित निर्माण कार्यों के लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्माण कार्यों के सापेक्ष धनराशि `**99007** की रायल्टी की कटौती की गई थी जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	कौटती की गई रायल्टी की धनराशि(रू.में)
1	2019-20	सांसद निधि	ग्राम औरंगाबाद में गुरूडोर से धीरसिंह के मकान की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	14089
2		सांसद निधि	ग्राम दुर्गागढ में ओमप्रकाश के घर से हरपाल के घर की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	14089
3		सांसद निधि	डदय विहार फेस–1 में मनोज के घर से वैद्य जी के घर की सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	18940
4		सांसद निधि	मुख्य मोटर मार्ग से जमालपुर रोड से उदय विहार फेस–1से गोपी के मकान की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	32190 (18940+ 13250)
5		सांसद निधि	बहादराबाद मुख्य मोटर मार्ग से करन सिंह के घर की सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	6171
6		सांसद निधि	ग्राम अम्बूवाला पथरी स्टेशन हरिद्वार में मनोहर भटट के घर से रेशम फर्म की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	9098
7		सांसद निधि	विधान सभा पिरान कलियर में अम्बेडकर भवन में अतिरिक्त कछ का निर्माण कार्य	4430
			कुल योग	**99007**
			(25 प्रतिशत अतिरिक्त)	**24752**

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु काटी गई रायल्टी रू 99007 का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रायल्टी धनराशि ` 22412 उक्त सम्बंधित निर्माण कार्यों से कटौती करके जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी तथा उक्त धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नही कराई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उपर्युक्त तथ्यों एवं ऑकडों को पुष्टि करते बताया गया कि काटी गई एम.बी. रायल्टी की राशि तथा अतिरिक्त रायल्टी काटकर राजकोष में चालान द्वारा जमा कर दी जाएगी ।

अतः विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण अतिरिक्त रायल्टी धनराशि ` 22412 लाख की कटौती नहीं किया जाना तथा रायल्टी की धनराशि ` 99007 राजकोष में जमा नही किये जाने का प्रकारण संज्ञान में लाया जाता है।

मा0 सांसद डा0 रमेंश पोखरियाल 'निशंक' जी के कोष वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में से प्रगति एवं अनारम्भ कार्यों का विवरण।

माह मार्च 2020

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	चैक संख्या व दिनांक प्रथम किश्त	चैक संख्या व दिनांक द्वितीय किश्त	विधानसभा	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय धनराशि (लाख रू0 में)	बचत की धनराशि	पूर्ण कार्य	प्रगति पर कार्य	अनारम्भ कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सुभाषनगर गली नं0 ए–12 में मुख्य मार्ग से राजेन्द्र धीमान के घर तक सड़क के दोनो तरफ नाली निर्माण हेतु।	न0पा0प0 शिवालिक नगर	249087/15.07.19		ज्वालापुर	4.00	2.000	2.000		0	प्रगति	0
2	सुभाषनगर गली नं0 बी–7 में मुख्य मार्ग से एम0पी0जी0 सिंह के घर तक सड़क के दोनो तरफ नाली निर्माण हेतु।	न0पा0प0 शिवालिक नगर	249087/15.07.19		ज्वालापुर	4.00	2.000	2.000		0	प्रगति	0
3	सुभाषनगर गली नं0 ए–3 में मुख्य मार्ग से अर्जुन के घर तक सड़क के दोनो तरफ नाली निर्माण हेतु।	न0पा0प0 शिवालिक नगर	249087/15.07.19		ज्वालापुर	2.00	1.000	1.000		0	प्रगति	0
4	ग्राम राजपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु लखविन्दर सिंह के घर के पास पेयजल आपूर्ति हेतु 01 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		खानपुर	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
5	ग्राम बुग्गावाला के शहीदग्रन्ट में पेयजल आपूर्ति हेतु 02 हैण्ड पम्पों की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		भगवानपुर	1.46	1.314	1.314	0	0	प्रगति	0
6	ग्राम आलमपुर, पंचायत प्रहलादपुर में अबसिन्दर पाल एवं सुखवंत के घर के पास पेयजल आपूर्ति हेतु एक हैण्डपम्प की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		खानपुर	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
7	ग्राम अबदीपुर में दीदार के घर के पास से पेयजल आपूर्ति हेतु एक हैण्डपम्प की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		रूड़की	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
8	ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु 01 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		मंगलौर	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
9	ग्राम जैनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु 01 हैण्डपम्प की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		लक्सर	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
10	ग्राम डालूवाला में पेयजल आपूर्ति हेतु 02 हैण्डपम्प स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		लक्सर	1.46	1.314	1.314	0	0	प्रगति	0
11	ग्राम बिजापुर एवं खरजा कुतुबपुर मलिन बस्ती मे पेयजल आपूर्ति हेतु 02 हैण्डपम्पो की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		रूड़की	1.20	1.08	1.08	0	0	प्रगति	0
12	ग्राम गंगनौली में सागर चौधरी के घर के पास पेयजल आपूर्ति हेतु एक हैण्डपम्प की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		लक्सर	0.73	0.657	0.657	0	0	प्रगति	0
13	ग्राम बंजारेवाला में पेयजल आपूर्ति हेतु 02 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		भगवानपुर	1.46	1.314	1.314	0	0	प्रगति	0
14	ढण्डेरा, मोहनपुरा, टोडाकल्याणपुर, डिफेन्स कालोनी में पेयजल आपूर्ति हेतु 04 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		लक्सर	2.92	2.628	2.628	0	0	प्रगति	0
15	ग्राम भलस्वागाज व मानकपुर मे पेयजल आपुर्ति हेतु 02 हेण्डपम्पो की स्थापना हेतु।	अधि0अभि0 जल निगम हरिद्वार।	249088/15.07.19		भगवानपुर	1.46	1.314	1.314	0	0	प्रगति	0
16	ग्राम इब्राहिमपुर देह में प्राथमिक विधालय स्थल में कक्ष निर्माण	अधि0अभि0 ग्रा0नि0वि0 हरिद्वार।	335963/30-10-2019		भगवानपुर	5.00	2.50	2.50	0	0	प्रगति	0
17	चमन लाल महाविधालय मे पुस्तकालय निर्माण हेतु।	प्रबन्ध समिति	249105/5.8.19		रूड़की	10.00	6.00	6.00	0	0	प्रगति	0
18	आनन्द स्वरूप आर्य सरस्वती विधा मंदिर रूड़की में 03 कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु।	प्रबन्ध समिति	249114/29.10.19		रूड़की	10.00	6.00	6.00	0	0	प्रगति	0
19	ग्राम संगीपुर में मदरसा मुस्लिम कासमी मे कक्षा कक्ष निर्माण हेतु।	प्रबन्ध समिति	249106/5.8.19		लक्सर	5.00	5.00	3.00	0.00	0	प्रगति	0
20	ग्राम नकरौदा में शिवराज भण्डारी के घर से विक्रम सिंह भण्डारी जी के घर तक 100 मी0 सी0सी0 मार्ग निमार्ण हेतु	देहरादून			डोईवाला	2.00	2.00	1.250	0.000	0	प्रगति	0
21	ग्राम गडूल के अन्तर्गत बसन्तपुर मादसी मुख्य मार्ग डिम्मर गांव में रधुवीर सिंह रावत के घर की और सी0सी0 मार्ग निमार्ण	देहरादून	SC		डोईवाला	5.00	5.00	3.000	0.000	0	प्रगति	0
22	अमित ग्राम वार्ड संख्या 37 में रमेश ठेकेदार के घर से मस्ताना सिंह रावत के घर तक सी0सी0 निमार्ण हेतु	देहरादून			डोईवाला	2.50	2.50	1.500	0.000	0	प्रगति	0
23	अठूरवाला,मोलघार गांव में मुख्य मार्ग से मोलधार अठूरवाला गैस गोदाम तक सी0सी0 मार्ग निमार्ण	देहरादून	SC		डोईवाला	1.00	1.00	0.600	0.000	0	प्रगति	0
	योग–					64.84	47.91	41.756				

भाग-दो-ब

प्रस्तर 2:- एन०आर०एल०एम योजना का अनुश्रवणन किया जाना एवं रिवौलविंग फंड मांग के अनुसार आवंटित न किया जाना |

पत्रांक संख्या 504/१००/एस.पी.एम.यू./आर.डी./२०१७ दिनांक 26 जुलाई २०१७ बिन्दु सं० ८ पंचसूत्र का नियमित प करने वाले स्वयं सहायता समूह को 12 बैठक के उपरांत यू०एस०आर०एल०एम० द्वारा परिक्रामी निधि (रीवौल्विंग फंड) उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे स्वयं सहायक समूह जिसमें 05-10 संख्या तक सदस्य हों उन्हे रु-**10,000** प्रति समूह तथा जिसमे 11 अथवा उससे अधिक सदस्य हों उन्हे रु- **15,000**प्रति समूह रीवौल्विंग फंड दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 से तदानुसार यथा निर्धारित सीमा के तहत प्रत्येक समूह को धनराशि (रीवौल्विंग फंड) आर०एफ़० अवमुक्त किया जाये|

इसके अतिरिक्त DRDA के संगढनात्मक ढ़ाचे के अनुसार प्रत्येक DRDA में एक **अनुश्रवणएवं Evaluation Wing**होगा जो निम्नानुसार कार्य संपादित करेगा

There should be a separate अनुश्रवण and Evaluation wing headed by a Project Economist and functioning directly under the supervision of the Project Director. Apart from अनुश्रवण the progress of all the programmes, this wing should also carry out evaluation/impact studies regularly by independent institutions/experts including NGOs.

The cost of such studies will be met from the respective programme funds. This wing should also monitor issues relevant to poverty in the district.

लेखा परीक्षा के दौरान कार्यालय में संचालित एन०आर०एल०एम० रिवोलविंग फंड से संबन्धित वर्ष 2019-20 के अभिलेख की जांच में पाया गया की कार्यालय में कुछ समूहों कोमांग के आधार पर पूरारीवौल्विंग फंड अंतिम अवशेष **रु- 19.93 लाख** रहने क बाद भी आवंटित नहीं किया गया जो की शासनादेश में स्पष्ट बताया है की समूह में 05-10 संख्या तक सदस्य हों रु-**10,000** प्रति समूह तथा जिसमे 11 अथवा उससे अधिक सदस्य हों उन्हे रु- **15,000**प्रति समूह रीवौल्विंग फंड दिया जाएगा।|एवं जांच में यह भी पाया गया की कार्यालय द्वारा योजना प्रारम्भ से मौनेटरिंग भी नहीं की जा रही है। जिससे यह ज्ञात नहीं होता की कार्यालय द्वारा आवंटित की गयी धनराशि का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। जोकि दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि योजना के अंतर्गत मांग के अनुसार ही आवंटन किया गया है यथाशीघ्र धनराशि को अवमुक्त कर दिया जायेगा |सौफ्टवेयर मौड्यूल पर online अपलोड किया जा रहा है एवं विकास खण्डों को उनकी मांग के अनुरूप धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा मौनिटरिंग प्रारम्भ से नहीं हो रही है | गरीबी रेखा की पहचान SCCC date एवं PIP के आधार पर की जाती है | धनराशि का आवंटन प्राप्त न होने के कारण धनराशि जारी नहीं की गई |MCP (Micro Credit Plan) किया जा रहा है | लक्ष्यों के साक्ष्य लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं योजना में seed capital की धनराशि को भी सम्मिलित किया गया है |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है जिससे यह ज्ञात नहीं होता की कार्यालय द्वारा आवंटित की गयी धनराशि का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं एवं कुछ समूहों को मांग के आधार पर पूरारीवौल्विंग फंड अंतिम अवशेष रहने के बाद भी आवंटित नहीं किया गया|जो की दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है

अतः कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से अनुश्रवण न किया जाना एवं शासनादेश का पालन न किया जाना का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- सीड कौपिटलरु-75,000/- की धनराशि का तीन वर्षो से उपयोग न कर अवरुद्ध रखा जाना।

BUDGET MANUAL UTTARAKHAND(First Edition) Finance Department Government of Uttarakhand 2012186. Timely utilization of Central Government assistance/ grants: Since the process of funding is that of reimbursement through the channel of ACA, sufficient budget provision is to be made. **The implementation of the project should be started as per the time schedule.92. Responsibilities of Controlling Officers(v)to surrender appropriations or portions there of which are not likely to be required during the year as soonas lapses or savings are foreseen;**

कार्यालय में संचालित मुख्यमंत्री महिला एस0एच0जी0 (सीड कैपिटल)से संबन्धित वर्ष 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, से संबन्धित जांच में पाया गया की कार्यालय के वर्ष 2017-18 मुख्यमंत्री महिला एस0एच0जी0 (सीड कैपिटल) के लिए रु- 75,000/- की मांग की गई थी परंतु उक्त तिथि 16.11.2020 तक उक्त योजना के अंतर्गत कोई भी व्यय नहीं किया गया था।जोकि दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।
उपरोक्त प्रकरण की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं स्वीकार किया किबजट की मांग सीड कैपिटल के लिए वर्ष 2017-18 में की गई थी तथा साक्ष्य उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं बजट को समर्पित करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया गया एवं धनराशि का उपयोग यथाशीघ्र कर दिया जाएगा |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18में मुख्यमंत्री महिला एस0एच0जी0 (सीड कैपिटल)के अंतर्गत बजट की मांग की गई थी शासन द्वारा धनराशि योजनाओं पर शीघ्र व्यय करने हेतु प्रदान की जाती है जबकि यह राशि बिना किसी व्यय के इकाई के खाते में वर्ष 2017-18 से अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

अतःधनराशि रु-75,000,/- के तीन वर्षों से अधिक तक इकाई के खाते में अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- कार्यालय की बिना कोई जानकारी के कैंटीन संचालित किए जाने से योजना का उद्देश्य अप्राप्त रहने का प्रकरण।

उत्तराखंड शासनादेश सं. 1076/XI/2017/56(68) 2015 दिनांक 14 जुलाई 2017 के अनुसार इन्दिरा अम्मा योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन के माध्यम से निरंतर आय सृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सुदृढीकरण करना है। साथ ही उक्त शासनादेश के अनुसार ऐसी कैंटीन को सरकार द्वारा सुविधादाता के रूप में सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा जो शीघ्रतिशीघ्र लाभ में संचित होते हुए सब्सिडी त्यागने के इच्छुक होंगे अर्थात इन कैंटीन्स को धीरे धीरे स्व-स्थायी होना चाहिए। स्व-स्थायी होने वाली कैंटीन को राज्य सरकार सुविदादाता के रूप में सहयोग करेगी। एवं विभिन्न रेखीय विभाग कि योजनाओ के साथ केंद्राभिसरण का प्रयास करेगी।

इन्दिरा अम्मा योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि कार्यालय के अंतर्गत 2 कैंटीन संचालित है। बस अड्डे परिसर की कैंटीन का आबंटन 7 दिसंबर 2016 को नयी सोच, स्वयं सहायता समूह को हुआ। उक्त समूह द्वारा अपने पत्र दिनांक 24/10/2017 एवं 07/11/2017 द्वारा अनुरोध किया गया कि सब्सिडी त्यागने के आधार पर कैंटीन का संचालन किए जाने की अनुमति प्रदान करें। परंतु कार्यालय द्वारा उक्त अनुमति प्रदान न करके दिनांक 30/10/2017 को कैंटीन के संचालन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की। जिसके अनुक्रम में समूह द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की। जिसे माननीय कोर्ट द्वारा फरवरी 2018 में निस्तारित कर दिया गया, परन्तु कोर्ट द्वारा उक्त याचिका पर क्या निर्णय लिया गया इस संबंध में इकाई के पास कोई सूचना नहीं थी। एवं कैंटीन का संचालन उक्त समूह द्वारा निरंतर किया जा रहा है। कोर्ट द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम बार 14 फरवरी 2020 में पत्राचार किया गया। अर्थात विगत 9 माह से उक्त प्रकरण के संबंध में कोई पत्राचार इकाई द्वार नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त कैटीन के संचालन के संबंध में इकाई के पास कोई निर्देश नहीं है। एवं बिना किसी निर्देश के समूह द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि बस अड्डा परिसर कैटीन का कार्यकाल वर्ष 2017 में समाप्त हुआ था। साथ ही इकाई द्वारा उक्त वाद पर लिए गए निर्णय के संबंध में अनभिज्ञता दर्शाई साथ ही स्वीकार किया कि फरवरी 2020 के बाद उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया गया है एवं वाद के निर्णय की प्रति यथाशीघ्र प्रपट कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है कि इकाई के पास उक्त प्रकरण पर माननीय न्यायलय द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है एवं स्वयं सहायता समूह नयी सोच द्वारा उक्त कैंटीन का संचालन लगातार किया जा रहा है जिस कारण योजना का उद्देश्य (ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन के माध्यम से निरंतर आय सृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सुदृढीकरण करना) अप्राप्त है।

अत: कार्यालय की बिना कोई जानकारी के कैंटीन संचालित किए जाने से योजना का उद्देश्य अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद- हरिद्वार** के वर्ष**2019-20** केलेखा/अभिलेखों की संप्रेक्षा श्री के.पी.सिंह,स.ले.प.अ., श्री बरुण शर्मा,स.ले.प.अ., तथा श्री अनुज कुमार सिंघल ,स..ले.प.अ.(त) द्वारा श्री ए..के,भारतीय ,व्. ले.प.अधिकारी . के पर्यवेक्षण में दिनांक **09.11.2020** से**16.11.2020** तक संपादित की गयी ।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
27/2000-01	0	02	
32/2001-02	1	1	
54/2002-03	0	1(क)(ख), 2(क)(ख), 5	
49/2004-05	0	1(क)(ख), 2	
72/2005-06	1	01 से 09	
60/2006-07	1	01 से 05	
21/2007-08	0	01 से 05	
25/2009-10	1, 2	1, 2	
12/2011-12	1, 2	1, 2, 3	
105/2013-14	0	1	
86/2015-16	1	1, 2	
65/2017-18	शून्य	01 से 02	शून्य
45/2019-20		1 से 2	शून्य

ख)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			-	-

भाग – IV

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

---------- सामान्य ----------

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

2. सतत अनियमितताएँ: **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			से	**तक**
01.	श्री आर.सी.तिवारी	परियोजना निदेशक	28.01.19	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी.-I